

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलवी/19/21124

दिनांक: 20/3/2019

आदेश

श्री कैलाश पारीक, अध्यक्ष, नगरपालिका, रींगस का दिनांक 08.08.19 देहान्त हो जान के कारण नगरपालिका रींगस के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। नगरपालिका रींगस में अध्यक्ष का पद अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार श्री बाबूलाल कुमावत, उपाध्यक्ष, नगरपालिका, रींगस (सदस्य वार्ड संख्या 25) को अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।


(उज्ज्वल राठौड)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलवी/19/21125-36

दिनांक: 20/3/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सीकर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, सीकर।
8. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रींगस।
10. श्री बाबूलाल कुमावत, उपाध्यक्ष, नगरपालिका, रींगस (सदस्य वार्ड संख्या 25)।
11. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी